

09/09/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील वाडी जफ।

वकील प्रतिवादी गणपत पत्रावली में  
प्रस्तुत दस्तावेज; की गई वलय व  
अन्य समस्त तथ्यों पर चिन्तन,  
मनन के आधार पर यह जालि  
होगा कि यह पत्रावली में वादी  
के विरुद्ध यह आवक करने में असफल  
रहा कि वह उसे इस प्रकार में किसी  
प्रकार की अप्रामाण्य बातें एवं ही संभवित  
है तथा प्रकार प्रथम दृष्टया किसी भी  
प्रकार की वादी को कसबा विवेचना  
पारि करके सम्बन्धित नहीं जाहेर होना  
है साथ ही सूचिया का संतुलन भी  
वादी के पास न होने से वादी के स्वयं  
आदेश कानून धरकर काविक्रुति  
होगा जाहेर किया गया है। मेल।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहक  
हुकम  
में

इस उक्त में प्रतिवादीगण के लिए  
मौजूदा सम्पत्तियों को हक प्रभाव  
होने से केवल सम्पत्तियों द्वारा ही  
उक्त उक्त में अस्वाभाविकता  
आवश्यक प्रतीत के होते से पत्रावली  
जानकर 202 खारीज की जाकर फर्मा  
क्षमा की जाती है पत्रावली मूल पत्रावली  
के साथ नती की जावे व व

  
उपखण्ड अधिकारी  
घाटोल